दिनांक 25.11.2017 को बामेती, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. सूचित किया गया कि कृषि विभाग द्वारा कुल उद्व्यय के विरूद्ध अभी तक व्यय बहुत ही कम हुआ है। रब्बी मौसम प्रारम्भ हो गया है। खरीफ में व्यय की गई राशि की अविलम्ब निकासी कर ली जाये। निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी दिनांक 30.11.2017 तक 30 प्रतिशत तथा दिनांक 15.11.2017 तक 60 प्रतिशत राशि की निकासी कर लें तथा Daily Expenditure Report को प्रतिवेदन Google doc पर अद्यतन करें।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत राशि की निकासी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सुपौल जिला की निकासी अभी तक 5 प्रतिशत है, जो बहुत ही कम है। जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक उनके जिला की निकासी 20 प्रतिशत हो जाएगी।

अररिया, गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, भभुआ, मधेपुरा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं सारण में निकासी 20 प्रतिशत से भी कम पाई गई। निदेश दिया गया कि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों की बैठक कर उन्हें साप्ताहिक लक्ष्य आवंटित कर दें तथा प्रति सप्ताह उनके कार्यो का मूल्यांकन करें। जो प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी या कृषि समन्वयक अपने लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त नहीं करते हैं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय।

(अनु0– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3. दिनांक 15.11.2017 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंस में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वे रा0खा0सु0मि0, वर्ष 2015–16 के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र को जमा करने हेतु सभी कागजात के साथ अपने प्रधान लिपिक/लेखापाल को दिनांक 17.11.2017 को बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग के पास भेज दें। लेकिन अभी तक मात्र दस जिलों– समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, सिवान, गया एवं सहरसा द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किया गया है। शेष जिला कृषि पदाधिकारी को अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा कराने का निदेश दिया गया। ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राशि की निकासी में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सके।

(अनु0– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :–</u>

4.1 वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग द्वारा बताया गया कि जैविक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम से 09 जिले यथा–पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया एवं मुंगेर जिले में जैविक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैविक खेती हेतु किसानों को प्रेरित करते हुए प्रखंड स्तर पर उनके गॉवों में प्रशिक्षण दिया जाय एवं जिला स्तर पर क्षेत्रीय कर्मी जिन्हें योजना का दायित्व दिया गया है, उन्हें भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाय।

4.2 इच्छुक किसानों का समूह बनाया जाय जिसमें कम–से–कम 25 एवं अधिक–से–अधिक 500 किसानों को रखा जाय एवं एक किसान समूह का रकबा कम–से–कम 25 एकड़ रखा गया है।

4.3 कृषक समूह के Legal Status प्राप्त करने हेतु अपने जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क कर निबंधन अतिशीघ्र करा लें एवं समूह के निबंधन के उपरांत समूह के चालू/बचत खाता एवं पैन कार्ड भी बनवा लिया जाय।

4.4 जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसान सलाहकार को मोटिभेटर एवं कृषि समन्वयक को कृषक समूह के रिसोर्स पर्सन के रूप में नियुक्त कर लें।

4.5 जैविक उपादानों के आपूर्तिकर्ता के साथ बैठक कर शिविर लगाकर उपादानों के वितरण किसानों के बीच करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया। समूह के निबंधन के उपरांत जैविक प्रमाणीकरण हेतु किसानों की सूची बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (BSSOCA) को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4.6 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को वर्ष 2017–18 में पायलट प्रोग्राम के तहत चयनित जैविक ग्राम में इच्छुक लाभान्वितों का शीघ्र चयन कर पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं प्री–फैब्रिकेटेड वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्वीकृति निर्गत करने का निदेश दिया गया । इसके साथ–साथ जैविक ग्राम में किसानों को जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों से भी लाभान्वित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 4.1 से 4.6– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4.7 वर्ष 2017–18 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत मात्र 18 जिलों में राशि की निकासी की गई है। 20 जिलों में निकासी शून्य है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 30 नवंबर, 2017 तक 30 प्रतिशत राशि व्यय करना सुनिश्चित किया जाय तथा 15 दिसंबर, 2017 तक हर हाल में 50 प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित किया जाय।

4.8 वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत किसी कार्यक्रम में लक्ष्य पूर्ण हो जाने तथा किसानों की मॉग अधिक रहने पर जिला कृषि पदाधिकारी इसकी सूचना कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे ताकि जिलान्तर्गत वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत एक कार्यक्रम के लक्ष्य को दूसरे कार्यक्रम में अर्न्तपरिवर्तित किया जा सके।

(अनु0–कंडिका 4.7–4.8 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. **उर्वरक/POS मशीन :–**

5.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी जिला में कोई उर्वरक की कमी नहीं है। निदेश दिया गया कि यदि किसी जिला में कोई उर्वरक की कमी हो तो इसकी सूचना अविलम्ब उर्वरक कोषांग को दें।

5.2 उर्वरक अनुदान हेतु राज्य में pos मशीन की कुल आवश्यकता 24612 के विरूद्ध अभी तक कुल 21819 pos मशीन उपलब्ध हुआ है। जिसमें से 12173 pos मशीन खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को वितरित कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक 04.12.2017 तक जो खुदरा उर्वरक विक्रेता pos मशीन नहीं लेते है, उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाय। सूचित किया गया कि दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को pos मशीन की उपलब्धता वितरण एवं इसकी कार्य प्रणाली पर चर्चा हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ विडियों कॉफ्रेन्स आयोजित की जाएगी।

(अनु0–कंडिका–5.1 एवं 5.2–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. **बीज :–**

6.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खरीफ, 2017 हेतु बीज योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 8.35 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 1.55 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। नालन्दा, बेगूसराय, भागलपुर एवं अररिया से प्रतिवेदन अप्राप्त है। रोहतास, मुजफ्फरपुर, नवादा, मधेपुरा, गया, बक्सर, जमुई, औरंगाबाद, पूर्णिया, लखीसराय, दरभंगा, अरवल, कैमूर, सारण एवं शिवहर की निकासी संतोषजनक नहीं है। निदेश दिया गया कि खरीफ, 2017 में की गई बीज की उपलब्धि की सभी निकासी दिनांक 30.11.2017 तक कर ली जाय। इसके बाद कोई राशि शेष नहीं रहनी चाहिए।

6.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बी0आर0बी0एन0 से बीज का उठाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम एवं बीज ग्राम योजना हेतु बी0आर0बी0एन0 से गेहूँ के

बीज का अविलम्ब उठाव करने का निदेश दिया गया। सूचित किया गया कि बी0आर0बी0एन0 में चना एवं मसूर का बीज समाप्त हो गया है। चना एवं मसूर का बीज एन0एस0सी0 या एच0आई0एल0 से लेने का निदेश दिया गया।

(अनु0– कंडिका 6.1 एवं 6.2–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6.3 हरी खाद योजना अन्तर्गत गरमा, 2018 हेतु ढैंचा, मूंग एवं सनई का बीज की आवश्यकता भेजने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया था। अभी तक मात्र पूर्वी चम्पारण, बांका, पूर्णिया एवं समस्तीपुर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि शेष जिला कृषि पदाधिकारी अविलम्ब अपनी मांग उपलब्ध करा दें।

(अनु0– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

7. <u>मृदा स्वास्थ्य कार्ड :–</u>

7.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य योजना से स्वीकृत 800.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 231.29 लाख रू0 की निकासी हुई है। भोजपुर एवं गया में अभी तक निकासी शून्य है। इस राशि से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान किया जाना है।

7.2 बीज परीक्षण प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, मोतिहारी एवं भभुआ में भी निकासी शून्य है।

(अनु0– कंडिका 7.1 एवं 7.2–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

7.3 सूचित किया गया कि 5 दिसम्बर, 2017 को विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। जिसमें जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण एवं कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

7.4 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रति ग्रीड मिट्टी नमूना संकलन में नालन्दा, पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पटना, अरवल, रोहतास, नवादा, भोजपुर एवं कैमूर की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

7.5 मिट्टी जॉच प्रयोगशाला में प्राप्त नमूना में नवादा, पश्चिम चम्पारण, जमुई, सहरसा, सुपौल एवं वैशाली की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

7.6 पश्चिम चम्पारण, नवादा, मुजफ्फरपुर, अरवल, सुपौल, शिवहर एवं पटना में मिट्टी नमूना विश्लेषण की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

केन्द्र सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण पर बहुत संवेदनशील है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना संकलित कर प्रयोगशाला में भेजवाना सुनिश्चित करें। क्योंकि खेत अभी खाली है। फसल लग जाने के बाद मिट्टी नमूना संकलित करने में कठिनाई होगी।

(अनु0– कंडिका 7.3 से 7.6–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7.7 सूचित किया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत मिनी लैब की स्थापना हेतु अभी तक 24 स्थानों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि शेष जिला कृषि पदाधिकारी भी अविलम्ब प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें।

(अनु0– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

8. <u>वर्षाश्रित क्षेत्र विकास योजना (आर0ए0डी0) :–</u>

8.1 वित्तीय वर्ष 2017–18 में 376.82 लाख रू0 की योजना में से अभी तक 70.68 लाख रू0 की निकासी हुई है। वर्ष 2017–18 की योजना में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, बांका एवं गया में राशि की निकासी शून्य है।